

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल बिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ (ज + 1 आवासीय)
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 145 दिनांक 25/06/2019
 प्रार्थी (1) श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत S/O श्री रामलिंग शेखावत
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानाचक्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 78000/- ग्राम - जोधपुर मरुतपर केसरी जगर-
 जरिये रसीद संख्या 28/2918, 2919, 2920 जोधपुर
 दिनांक 25/06/19 को जमा करा दी है।

प्राधिकार
 नगर निगम, जोधपुर

26/6
 गौतम माथुर
 सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर